कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 325/बागपत/14525/यूपी–128/2015, दिनांक, लखनऊ, अगस्त 12, 2016

सेवा में,

अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक(केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र,
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, से0–एच, अलीगंज,
लखनऊ।

विषय : बागपत वन प्रभाग के अन्तर्गत लो0नि0वि0 द्वारा मेरठ–बागपत मार्ग किमी0 71 पर हिण्डन नदी पर प्रस्तावित सेतु के दायीं ओर सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु जनपद मेरठ व बागपत की 1.215 है0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 30 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ:– भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यूपी/06/23/2016/एफसी/173, दिनांक 12.07.2016
भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यूपी/06/23/2016/एफसी/232, दिनांक 09.08.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रकरण में भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र दि0 12.07.2016 के क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल में परिवर्तन करते हुए परिवर्तित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का ब्यौरा एवं अन्य आवश्यक अभिलेख अपेक्षित थे।

उक्त के क्रम में वन संरक्षक, मेरठ के पत्रांक–403/14–1, दिनांक 04.08.2016 द्वारा यह अवगत कराया गया कि चिन्हित क्षेत्र अवनत वन क्षेत्र है, जिसमें काफी मात्रा में घास खड़ी है। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि चिन्हित क्षेत्र की जॉच सहायक निदेशक वन सर्वेक्षण संस्थान, देहरादून से करायी गयी, जिस पर उनके द्वारा अपनी सहमति दी गयी है। उक्त के आलोक में प्रभागीय वनाधिकारी, बागपत द्वारा पूर्व चिन्हित स्थल पर पुनर्विचार करने हेतु अनुरोध किया गया है।

सुलभ सन्दर्भ हेतु वन संरक्षक, मेरठ के उक्त पत्र दिनांक 04.08.2016 की संलग्नक सहित एक प्रति एतत्सह संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त के आलोक में प्रकरण में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अरविन्द गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 325 / **उक्त दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ।
2– प्रभागीय वनाधिकारी, बागपत वन प्रभाग, बागपत।
3– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागपत।

(अरविन्द गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।